न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–1078/2017

नारायण पुत्र लादू, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम तिलपट्टी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री राजीव शर्मा अपीलांट की ओर से।

2–श्री जी0 एल0 मीणा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–20–03–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर जिला जयपुर दिनांक 27.062017 राजस्व वाद संख्या 35/2011 प्रस्तुत की गई है।

2– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी हाल अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष दावा घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा यह कहकर प्रस्तुत किया कि चकबन्दी में भूमि खसरा नम्बर 3555 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम तिलपट्टी तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित लादू उर्फ लाद्या पुत्र जोधा ब्राह्मण के खुद काश्त एवं खातेदारी में दर्ज थी। संवत 2015 में हुए भू–प्रबन्ध सर्वेक्षण में साबिक खसरा नम्बर 3555 के नये खसरा नम्बर 207 बनाये गये किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से लादू उर्फ लाद्या के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं कर बिरदा पुत्र जोधा के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि जोधा का कोई भी बिरदा नाम का पुत्र नहीं है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी को भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोडेंट को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2017 को दावा खारिज कर दिया। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के पूर्णतया प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय इस कानूनी बिन्दू पर कोई विचार नहीं किया है कि अपीलान्ट द्वारा उनके समक्ष अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित दावा प्रस्तुत किया गया है, जो जवाब दावा प्राप्त कर पक्षकारान् की प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तथा सबूत साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जाना कानूनन आवश्यक था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रक्रिया की कोई भी पालना नहीं कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा को सरसरी तौर पर ही खारिज करते हुए कानून की सरासर अवहेलना की है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने

निर्णय एवं डिक्री में यह मानकर भारी कानूनी भूल की है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा संवंत 2015 में जारी किया गया पर्चा खातेदारी सही है।जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह पूर्णतया साबित है कि चकबन्दी में उक्त वर्णित भूमि लादू उर्फ लाद्या पुत्र जोधा के नाम खातेदारी व खुद काश्त में दर्ज थी। इस कारण भू–प्रबन्ध सर्वेक्षण में भूमि को बिरदा पुत्र जोधा के नाम दर्ज कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का गलत रूप से प्रयोग किया गया था। जिसे दुरूस्त करने का पूर्ण अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त था फिर भी उनके द्वारा दावा खारिज कर भारी गलती किये जाने के कारण निर्णय एवं डिक्री कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय व डिक्री पारित करते समय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का कोई भी अवलोकन अथवा विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया किन्तु डिक्री नहीं बनाये जाने के कारण नकल प्राप्त नहीं हुई। इस कारण निर्णय के अन्तिम पैरा को डिक्री मानकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। डिक्री की नकल प्राप्त होते ही पेश कर दी जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को दावा लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान में रखने बाबत् कोई भी नोटिस नही दिया गया है, एवं न ही अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा ही कोई सूचना दी गई। इस कारण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी। अपीलान्ट के अभिभाषक श्री कुलदीप किशोर शर्मा द्वारा दिनांक 15/11/2017 को प्रेषित रजिस्टर्ड ए0 डी0 पत्र दिनांक 22/11/2017 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने उनसे सम्पर्क किया तथा नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी नकल दिनांक 28/11/2017 को प्राप्त होने पर अभिभाषक नियुक्त कर अपील तैयार कर अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी से अवधि प्रस्तुत है। फिर भी न्यायालय के समक्ष जानकारी से अवधि मध्य प्रस्तुत है। फिर भी देरी को क्षमा किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2011 में पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 27/6/2017 निरस्त फरमाये जावें।

3–अपील श्दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्याालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

4–अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं।मात्र तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया है जो कि अनुचित है तथा अपील स्वीकार कर प्रकरण समुचित सुनवाई उपरान्त निस्तारण हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में अपीलान्ट के कथन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विधि अनुकूल निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अपीलान्ट द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत किया गया था उक्त दावा जवाब दावे में दिनांक 8–6–2017 तक नियत रहा है। इसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 27–06–2017 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प राजपुरा पातलवास में नियत की गई है। उक्त दिवस को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि ''वादी उपस्थित परन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रतिवादी सख्या 1 उपस्थित। वादी का वाद खारिज किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि ''पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म निरीक्षण करने वादी व प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में सुनने तहसीलदार की रिपोर्ट एवं उपस्थित मौतबिरान से जानकारी लेने के पश्चात तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णय अनुसार वादी यह साबित करने में असमर्थ रहा कि वादग्रस्त भूमि के पट्टे में खातेदार का नाम लिपिकिय त्रुटि के कारण कटिंग की गई है। प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नही है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकिारी अधिनियम 1955 के अनुसार कवर नहीं होने से एवं साबित नहीं होने से विधि द्वारा स्थापित मूल भूत सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता हैं।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन व निष्कर्ष बिना किसी विधि आधार के किया गया है।लोक अदालत में सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में कोई सहमति नहीं रही है। सहमति नहीं रहने की स्थिति में वाद का निस्तारण जवाब दावा, साक्ष्य सबूत लिये जाकर किया जाना आवश्यक है।प्रकरण प्रतिवादी के जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु विचाराधीन था तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मात्र वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर वादी का वाद वादी को साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान किये बगैर खारिज किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है।जो रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा दी गई है वादी द्वारा उन्हीं तथ्यों को चुनौती अपने वाद में दी गई है जिनपर निर्णय साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विधिक प्रकिया का पालन नहीं कर वादी का वाद खारिज किया गया है जो कि अनुचित हैं। उपर्युक्त विवेचन से अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य पाये जाते है। अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होने से अपील प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7— अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27—06—2017 निरस्त कियाजाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देर्शो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूतों का समुचित अवसर प्रदान कर तथा संपूर्ण विधिक प्रकिया का पालन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8— निर्णय आज दिनांक 20—03—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर